न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–04 / 2020
तारीख निर्णय– 20 / 02 / 2020

प्रार्थीगण

उस्मान खां पुत्र गफारखांजी जाति–मुसलमान, निवासी–मगरतलाब, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

–: **विरूद्ध** :–

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, देसूरी

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राज.काश्त.अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील मनोहर दास वैष्णव ।
2–अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, देसूरी उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः– 20 / 02 / 2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मगरतलाब तहसील देसूरी जिला–पाली में स्थित आराजी कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 14 / 772 रकबा 4.6700 हैक्टर किसम बारानी दोयम, लगान रूपये 23.35 भूमि विद्यमान है जिस उक्त खसरा नम्बर की आराजी में से 3.6600 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का 25 सालो से पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त खसरा नम्बर 14 / 772 में से 3.6600 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी ने काफी लगात लगाकर भूमि को उपजाऊ व काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थी द्वारा मौके पर भूमि की सुरक्षा हेतु तार बन्दी व बाड भी लगा रखी है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर लगभग 25 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होने से विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का एडवर्स पजेशन है, जिससे कानूनन प्रार्थी इस विवादग्रस्त आराजी

पेज लगातार 02 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

का खातेदारी रिकोर्ड में खातेदारी घोषित किया जाने योग्य है। जिससे प्रार्थी ने एक वाद विरूद्ध अप्रार्थी के हस्ब धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते घोषित करने खातेदारी का प्रस्तुत किया है।

यह है कि अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा विवादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही कर प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अगर प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को काफी अकथनीय क्षति होगी जिसका क्षतिपूति रूपयों पैसे मे भी नही आंकी जा सकता है।

यह है कि मूल वाद के निर्णय में काफी लम्बा समय लगेगा जिस दौरान अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थी की खातेदारी की इस विवादग्रस्त आराजी मे किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी व बेदखल करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं तर्क संगत होगा।. प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जो किसी जो किंसी भी रूपेण कम्पनसेट नही की जा सकती एवं प्रार्थी न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगा। तथा न्याय को कोई प्रजोयन सिद्व नही होगा। अतः मामले के तथ्यों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्याय संगत होगा। प्रार्थी के कानूनी अधिकारो के संरक्षण हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार देसूरी उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब दिनांक 19.02.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मगरतलाब के खसरा नम्बर 14/772 रकबा 4.67 हैक्टर भूमि सरकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतियां अनुसार संवत 2065 से प्रार्थी का भूमि पर कब्जा होना दर्ज है।

प्रार्थी का कब्जा है परन्तु इस बेदखल किया जाता रहा है। यह विवादग्रस्त आराजी भूमि न होकर सरकारी भूमि है । सरकारी भूमि से अतिक्रमी को बेदखल किया जाना कानून है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्ट्या मामला :- बहस में मनन किया कि मौजा ग्राम मगरतलाब तहसील देसूरी जिला–पाली में स्थित आराजी कृषि भूमि नये

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खसरा नम्बर 14/772 रकबा 4.6700 हैक्टर किसम बारानी दोयम, लगान रूपये 23.35 भूमि विद्यमान है जिस उक्त खसरा नम्बर की आराजी में से 3.6600 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का 25 सालो से पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा लगातर कब्जा काश्त के रहते उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का एडवर्स पजेशन है ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में मनन किया कि कि ग्राम मगरतलाब के खसरा नम्बर 14/772 रकबा 4.67 हैक्टंर भूमि सरकारी है। प्रार्थी का सिर्फ कब्जा काश्त होने से मात्र से उक्त भूमि एडवर्स पजेशन नही हो जाता है। प्रार्थी को अतिक्रमण करने पर समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 रिकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी का कब्जा 40 वर्षो का कब्जा भी साबित नही होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। तहसीलदार द्वारा इस संबंध में धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कानूनन हक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एवं बिना आधिपत्य कब्जा के कानूनन धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार से कोई अस्थायी व्यादेश जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा मात्र कब्जा काश्त है अतः मात्र कब्जा काश्त होने से अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस में मनन किया कि प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा काश्त है एवं प्रार्थी द्वारा काफी लागत लगाकर भूमि को उपजाउ व काश्त योग्य किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कब्जा शुदा भूमि के मौके से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को उक्त भूमि से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पडेगा जिसका मूल्याकन रूपयों पैसे से नही आका जा सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एवं बिना आधिपत्य कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार देसूरी द्वारा 91 के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थी को ऐसी कोई हानि नही होगी जो

पेज लगातार 04 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रूपयो पैसे में नही आकी जा सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–20/02/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested